अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 19–104/2013

अपीलार्थी – उषा शर्मा

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय सुपौल जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1883/प्रो0 दिनांक 31.12.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में स्थानांतरित होकर दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मामला यह है कि आँगनबाड़ी केन्द्र सं0– 142 बसन्तपुर परियोजना जो जया महिला कॉलेज के निकट अवस्थित है, सी0डी0पी0ओ0 बसन्तपुर द्वारा दिनांक 21.07.2012 एवं दिनांक 14.08.2012 को 12:30 बजे निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में केन्द्र पूर्णतः बंद पाया गया। बच्चों की उपस्थिति (0) शून्य थी।

उपर्युक्त अनियमितता के संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय ज्ञापांक 1446 दिनांक 28.09.2012 द्वारा सेविका को दिनांक 06.10.2012 को उपस्थित होकर अपना पक्ष, स्पष्टीकरण रखने का निर्देश दिया गया, एवं निर्धारित तिथि दिनांक 06.10.2012 को सेविका ने अपना स्पष्टीकरण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के समक्ष रखा। अपने स्पष्टीकरण में सेविका ने बताया कि निरीक्षण की तिथि 21.07.2012 को बहुत जोरो की वर्षा हो रही थी, जिस कारण केन्द्र पर बच्चों को बैठने में काफी दिक्कते होने

लगी थी चूँकि केन्द्र कच्चे भवन में क्रियाशील था, इस लिए उन्हें निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व छुट्टी देदी गई, लेकिन मैं एवं सहायिका निर्धारित समय 1:00 बजेदिन तक केन्द्र पर थी। सी0डी0पी0ओ0 बसन्तपुर द्वारा बच्चों के लिए पोषाहार बनाने वाले बर्त्तन की जाँच किया गया तो मैडम खिचड़ी बनी हुई देखकर संतुष्ट हुई, एवं उसे सही गुणवता पूर्ण माना।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई, जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता ने अपना –अपना पक्ष एवं कागजात,सबूत न्यायालय के समक्ष उपस्थापित किए। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि प्रश्नगत केन्द्र सं0– 142 का दो तिथियों में दिनांक 21.07.2012 एवं दिनांक 14.08.2012 को 12:30 बजे निरीक्षण किया गया। दोनों तिथि को निरीक्षण में दर्शायी गई अनियमितताऐं की सुनवाई दिनांक 06.10. 2012 को हुई।

इस संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया की जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश कितना हस्यास्पद एवं विरोधाभासी है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि आदेश पूर्णतः as per spirit of Law का उल्लघंन है। routine manner में लिया गया निर्णय है तथा इसमें Judicial mind का पूर्णतः उल्लघंन हुआ है। प्रथम निरीक्षण तिथि दिनांक 21.07.2012 को हुई जिसमें सुनवाई दिनांक 06.10.2012 को हुई एवं चयन मुक्ति आदेश दिनांक 31.12.2012 को हुई द्वितीय निरीक्षण तिथि दिनांक 14. 08.2012 को उसमें सुनवाई दिनांक 28.09.2012 को हुई एवं अपीलार्थी को चयन मुक्ति आदेश Communicated दिनांक 28.02. 2013 को हुआ जो यह साबित करता है कि पहले से ही अपीलार्थी को सेवा से चयन मुक्ति करने का (Kick out her from service) विचार तैयार कर लिया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी दिखलाया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने दिमाग में यह पहले से बिठा लिया था कि केन्द्र की सेविका उषा शर्मा को सेवा से चयन मुक्त कर देना है, तो स्पष्टीकरण लेने व सुनने का तो एक बहाना बनाया गया था जिसकी पुष्टि दैनिक, हिन्दुस्तान के तिथि दिनांक 12.01.2013 अवलोकन कराया गया कि जिसमें अंकित है कि केन्द्र सं0– 142 की सेविका उषा शर्मा का चयन रद्द कर दिया गया है, तो फिर स्पष्टीकरण प्राप्त करने व सुनने का औचित्य कहां रह जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया

कि दिनांक 14.08.2012 निरीक्षण तिथि को सेविका को स्मार्ट कार्ड प्रशिक्षण के लिए परियोजना कार्यालय बसन्तपुर 10:30 बजे बुलाया गया था तभी उसी तिथि को सी0डी0पी0ओ0 बसन्तपुर ने रास्ते में मिलने पर कार्यालय जाने में रोककर बताई कि आपका केन्द्र बंद था तब मै उन्हें बताई थी कि केन्द्र का कार्य भार सहायिका श्रीमती अनिता देवी को सौप कर ट्रेनिंग के लिए बसन्तपुर परियोजना जा रही हूँ । सी0डी0पी0ओ0 बसन्तपुर ने केन्द्र संचालित होने की गलत व्याख्या करके जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल को रिर्पोट सौपा। जिस पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने बिना किसी factual जाँच किए बिना ही सिर्फ अनुमान के आधार पर निर्णय ले लिया कि केन्द्र बंद था, संचालित ही नहीं हुआ जो पूर्णतः गलत है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निरीक्षण तिथि दिनांक 21.07.2012 को 12:30 बजे काफी जोरो की वर्षा हो रही थी, एवं केन्द्र भवन पक्के भवन का न था इसके कारण बच्चें भारी वर्षा के कारण लाभुक के माता–पिता के अनुरोध पर ही अपने – अपने घर प्रस्थान करने लगे थे, चूँकि बच्चें काफी छोटे थे, इसमें कोई भी risk लेना नहीं चाहेगा कि कोई अनहोनी घटना न घटित हो पाये। अतः केन्द्र 12:30 बजे तक चलाकर आधा घंटा पूर्व बंद कर दिया गया। केन्द्र संचालन का समय 9:00 बजे प्रातः से 1:00 बजे दिन तक निर्धारित था।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि केन्द्र का संचालन उस दिन (निरीक्षण तिथि दिनांक 21.07.2012) भी समुचित रूप से किया गया चूँकि लाभार्थी के माता–पिता/अभिभावक वार्ड पार्षद/मुख्य पार्षद नगर पंचायत बीरपुर (सुपौल) ने लिखित बयान दिए है कि दिनांक 21.07.2012 का केन्द्र सं0– 142 में स्कूल पूर्व शिक्षा /पोषाहार बच्चों की खिलाकर आधा घंटा पूर्व 12:30 बजे में ही केन्द्र बंद कर दिया गया चूँकि वर्षा अत्यधिक हो रही थी एवं कोई अनहोनी घटना न घटित न हो जाये, इस लिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि वर्त्तमान दायर अपीलवाद में माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना के द्वारा पारित आदेश C.W.J.C.NO-18187/2012 दिनांक 08.10.2012 एवं C.W.J.C.NO- 19513/2012 दिनांक 17.10.2012 में वर्णित है कि factual enquiry (सही जाँच) लेकर ही निर्णय लेना सर्वथा उपर्युक्त है न कि presumption के आधार पर निर्णय लेना अनुचित है। यहाँ तो निरीक्षी पदाधिकारी ने प्रश्नगत केन्द्र के किसी

भी लाभुकों (पंजीकृत) का न तो बयान लिया गया, और नहीं जाँच करवाया कि वास्तव में केन्द्र का संचालन समुचित रूप से किया गया है या नहीं सिर्फ सी0डी0पी0ओ0 द्वारा गलत व्याख्या के आधार पर निर्णय ले लिया कि सेविका को चयन मुक्त कर देना है जो बिल्कुल ही विभागीय मार्गदर्शिका कि अनुरूप सही नहीं है, खंडित करने योग्य है।

इस अपीलवाद में सुनवाई के क्रम में सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि यह बात सही है कि निरीक्षण की तिथि दिनांक 14.07.2012 को अत्यधिक वर्षा एवं दुसरी तिथि दिनांक 14.08.2012 को स्मार्ट कार्ड Training में सेविका को प्रतिनियुक्त किया गया किन्तु दोनों ही निरीक्षण तिथि को बच्चों की संख्या निरीक्षण प्रतिवेदन में (0) शुन्य दर्शाया गया है जो सेविका के क्रिया कलाप /उदासीनता को दर्शाता है

उपरोक्त सारे विवेचनाऐं एवं निष्कर्षो के आधार पर यह न्यायालय पहुँची कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश जो चयन मुक्ति का है पूर्णतः सही नहीं है, सिर्फ सी0डी0पी0ओ0 के प्रतिवेदन के अनुसार कि केन्द्र बंद था बच्चें नहीं थे पोषाहार नहीं बना था निर्णय अनुमान लगा लेना त्रुटिपूर्ण निर्णय है उन्हें विभागीय मार्ग दर्शिका 2012/956 दिनांक 14.03.2012 की कंडिका iii (i) के अपुरूप केन्द्र पर पाए गए हर अनियमितताऐं के लिए लाभुकों के तीन बयान लिए जाने चाहिए जो नहीं लिया गया बरसात का मौसम था, निरीक्षण तिथि दिनांक 21.07.2012 को काफी वर्षा हो रही थी, केन्द्र कच्चे भवन में संचालित था,सेविका/सहायिका तो निर्धारित समय 1:00 बजे दिन तक केन्द्र पर मौजूद थी, सिर्फ लाभुक बच्चों को आधा घंटा पूर्व छोड़ा गया था वह भी भारी वर्षा के कारण अनहोनी घटना के भय से, कोई अनहोनी घटना न हो पाये सर्तकता बरतना जरूरी था लाभुक बच्चें 0 शून्य से 06 वर्ष के थे हर माता –पिता की दिली इच्छा रहती है कि अनहोनी घटना से मेरे पुत्र को हानि न पहुँचे तो फिर निर्धारित घंटे से आधा घंटा पूर्व केन्द्र बंद कर देना वह भी स्कूल पूर्व शिक्षा, व पोषाहार खिलाकर तो इसमें सेविका की चतुराई व समझ बुझ का परियाचक है। सी0डी0पी0ओ0 दिनांक 21.07.2012 को प्रथम निरीक्षण की फिर दुसरी बार दिनांक 14.08.2012 को उसी केन्द्र का निरीक्षण की, एक महीने के अन्तराल में दो बार निरीक्षण में गई तो समझा जा सकता है कि उनकी मंशा पूर्णतः साफ नहीं है, अन्य केन्द्रो पर भी उन्हें महीने में दो–तीन बार जाँच हेतु जाने चाहिए, किन्तु वे ऐसा बिल्कुल ही नहीं करती होंगी उन्होंने निरीक्षण प्रतिवेदन में खामियाँ नहीं लिखी सुधार बरतने का

उपाय नहीं बताई सिर्फ हटाने की बात कही। ऐसा प्रतीत होता है कि सी0डी0पी0ओ0 प्रश्नगत केन्द्र से पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अतः यह न्यायालय निम्न न्यायालय के चयन मुक्ति आदेश को खंडित करते हुए, सेविका द्वारा निर्धारित समय से आधे घंटे केन्द्र बंद करने के आरोप में तथा भविष्य में लापरवाही व उदासीनता न बरती जाय, आर्थिक दंड एक महीने का पूरक पोषाहार राशि कोषागार शीर्ष में जमा करने के उपरान्त ही आदेश निर्गत तिथि से सेविका के पद पर चयन को बरकरार रखा जाता है ।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित 17.3.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

17.3.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा